संख्या-298 /18-4-2022-10(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
2.समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3.समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 13 मई, 2022

विषय:- गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश भू-आच्छादित राज्य होने के कारण निर्यात उत्पादों को बन्दरगाहों तक ले जाने में प्रदेश के निर्यातकों को समुद्र के किनारे स्थित राज्यों के निर्यातकों की अपेक्षा माल के भाड़े के रूप में अपेक्षाकृत अधिक लागत वहन करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रदेश के विभिन्न अंचलों में पारम्परिक उत्पादन कौशल होते हुए भी निर्यात का विकास वांछित स्तर का नहीं हो पाता है। उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-668/18-4-08-10(बजट)/07, दिनांक 06.02.2008 द्वारा "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना" प्रारम्भ की गयी है। तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। शासनादेश संख्या-1000/18-4-2020-58(विविध)/14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के क्रम में योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए "गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे गए माल के भाड़े पर अनुदान योजना" के अन्तर्गत दावों को ऑनलाइन दाखिल किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निम्नानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की समस्त औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन स्थल से गेटवे पोर्ट तक निर्यात हेतु भेजे जाने वाले माल के भाड़े पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु इनलैण्ड कन्टेनर डिपो, कन्टेनर फ्रेट स्टेशन, ट्रक एवं कुछ भाग ट्रक तथा शेष भाग

इनलैण्ड कन्टेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने पर 20 फिट कन्टेनर पर रू0 10,000/- तथा 40 फिट कन्टेनर पर रू0 20,000/- अथवा माल के भाड़े पर किये गये कुल व्यय का 25 प्रतिशत (जो भी कम हो) की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी । योजनान्तर्गत किसी भी निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम धनराशि रू0 20.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी ।

2. गेटवे पोर्ट के अन्तर्गत समुद्री बन्दरगाहों के अतिरिक्त वे शुष्क बन्दरगाह (Dry Port) भी शामिल हैं, जिनसे होकर प्रदेश के निर्यातकों द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात किये जाने वाले ट्रक/कन्टेनर गुजरते हैं अथवा भेजे जाते हैं।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु निर्यातक इकाई द्वारा पोर्टल पर दावा ऑनलाइन फाइल करने, उपायुक्त उद्योग द्वारा दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को संस्तुत किये जाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

(3.1) निर्यातक इकाई द्वारा कन्साइनमेन्ट निर्यात हेतु विदेशी क्रेता को भेजे जाने के उपरान्त, शिपमेन्ट की तिथि से अधिकतम 180 दिनों के अन्दर, अपना दावा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल कर दिया जायेगा। उक्त अवधि के पश्चात फाइल किये जाने वाले दावे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में हुई त्रुटियां स्वयं निर्यातक इकाई द्वारा संशोधित की जा सकेंगी।

(3.2) सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा दावे को उनके पोर्टल पर प्रदर्शित होने की तिथि से अधिकतम 21 दिनों की अवधि में परीक्षणोपरान्त पूर्ण पाये गये दावे निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित किये जायेंगे तथा अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति में पोर्टल पर ही अपूर्णता का विवरण ऑनलाइन अंकित करते हुए निर्यातक इकाई को वापस (Revert) कर दिये जायेंगे।

(3.3) सम्बन्धित निर्यातक इकाई द्वारा उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र के स्तर पर अपूर्ण पाये गये दावों से सम्बन्धित कमियों का निवारण करते हुए अधिकतम 15 दिवसों के अन्दर सुसंगत अभिलेखों को पुनः अपलोड करना होगा। निर्यातक इकाइयों के स्तर पर वांछित कार्यवाही उक्त अवधि में पूर्ण न किये जाने की स्थिति में दावा स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(3.4) निर्यातक इकाई के स्तर से अपूर्णता का निवारण करते हुए दावे से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेख अपलोड किये जाने के पश्चात उपायुक्त उद्योग द्वारा पुनः परीक्षणोपरान्त अधिकतम 21 दिनों की अवधि में अपनी सुस्पष्ट संस्तुति के साथ दावा निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(3.5) उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा अग्रसारित किये गये समस्त दावों की स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा :-

1	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
2	आयुक्त/अपर आयुक्त, व्यापार कर एवं जी.एस.टी. विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
3	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य
4	प्रतिनिधि, कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया	सदस्य
5	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य
6	निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद	सदस्य
7	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग	सदस्य
8	संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव

5. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावों को स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। दावों की स्वीकृति हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहूत की जायेगी। किसी वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट से किया जायेगा।

6. यह सुविधा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाइयों को उपलब्ध होगी जो आवेदन करने के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी।

7. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने एवं उसमें संशोधन किये जाने का अधिकार निर्यात आयुक्त में निहित होगा तथा दावों के परीक्षण हेतु अपलोड किये जाने वाले यथोचित अभिलेखों का

निर्धारण एवं उनमें संशोधन निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की अध्यक्षता में उक्तानुसार गठित समिति के परामर्श से किया जा सकेगा।

8. योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से निर्यातक इकाई के बैंक खाते में इलेक्ट्रानिकली अन्तरित की जायेगी।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 298 (1)/18-4-2022, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. आयुक्त/अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. प्रबन्ध निदेशक, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया।
5. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
7. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव